


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2632]

नई दिल्ली बुधवार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937

No. 2632]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3318(अ).—जबकि, बिहार राज्य ने वनों के बाहरी क्षेत्रों में नीलगाय और जंगली सुअर की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर कृषि के विनाश सहित जीवन और संपत्ति के नुकसान के विषय में सूचित किया है :-

और जबकि, केन्द्र सरकार ने वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए इन प्रजातियों की स्थानीय संख्या को संतुलित करने की आवश्यकता पर विचार किया है।

इसलिए, अब केंद्र सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, उक्त अधिनियम की 'अनुसूची III के क्रम सं. 14 पर सूचीबद्ध नीलगाय (बोसलाफस ट्रगोकेमलस) और क्रम सं 19 पर सूचीबद्ध जंगली सुअर (सस सक्रोफा) को एतद्वारा पीड़कजंतु होने और अधिनियम की अनुसूची V में शामिल किए जाने की घोषणा करती है, अर्थात् :-

1. वे क्षेत्र जिनमें नीलगाय (बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस) को बिहार राज्य की अनुसूची V में सूचीबद्ध समझा जाएगा -

क्रम सं.	जिला	क्षेत्र
1	पटना	संपूर्ण जिला
2	नालंदा	संपूर्ण जिला
3	भोजपुर	संपूर्ण जिला
4	बक्सर	संपूर्ण जिला
5	मुजफ्फरपुर	संपूर्ण जिला
6	सीतामढ़ी	संपूर्ण जिला
7	श्योहर	संपूर्ण जिला
8	दरभंगा	संपूर्ण जिला
9	मधुबनी	संपूर्ण जिला
10	बेगूसराय	संपूर्ण जिला
11	खगरिया	संपूर्ण जिला
12	समस्तीपुर	संपूर्ण जिला
13	सारण	संपूर्ण जिला
14	वैशाली	संपूर्ण जिला
15	गोपालगंज	संपूर्ण जिला
16	सीवान	संपूर्ण जिला
17	मोतीहारी (पूर्वी चंपारण)	संपूर्ण जिला
18	सहरसा	संपूर्ण जिला
19	अररिया	संपूर्ण जिला
20	मधेपुरा	संपूर्ण जिला
21	गया	सामुदायिक विकास खण्ड - वजीरगंज, अत्रि, खिजरसराय, बेलागंज, चंदौटी, बोधगया, टेकारी, कोंच, गुरारू, परैया, मानपुर और गुरूआ
22	जहानाबाद	सामुदायिक विकास खण्ड - जहानाबाद, घोसी, हुलसगंज, मकदमपुर,, मोदनगंज, काको और रतनी फरीदपुर
23	नवादा	सामुदायिक विकास खण्ड - नवादा, पकरीबरावन, वरसलीगंज, नरहट, कासीचक, नरदीगंज
24	औरंगाबाद	सामुदायिक विकास खण्ड - बारून, हसपुरा, ओबेरा, दौदनगर, गोह
25	अरवल	सामुदायिक विकास खण्ड - कुरथा, करपी, कलेर, वंशी

26	कैमूर	सामुदायिक विकास खण्ड - मोहनिया, नूवान , रामगढ़, दुर्गावती, कुदरा, भाभुआ
27	मुंगेर	सामुदायिक विकास खण्ड - असरगंज, तारापुर
28	लखीसराय	सामुदायिक विकास खण्ड - बरहिया
29	शेखपुरा	सामुदायिक विकास खण्ड - बरबीघा, घाट कुसुंभा
30	रोहतास	सामुदायिक विकास खण्ड - नोखा, सांझौली, सूर्यपुरा, देहारी, नसारीगंज, अकोधिगोला, राजपुर, करगाहर, कोचास, दिनारा, कराकट, दावथ, बिक्रमगंज
31	बेतिया (पश्चिम चंपारण)	सामुदायिक विकास खण्ड - नौतन, मंझहोलिया, नरकटियागंज, चनपटिया

II. वे क्षेत्र जहां जंगली सुअर (*सस सक्रोफा*) को बिहार राज्य की अनुसूची V में सूचीबद्ध माना जाएगा -

क्रम सं.	जिला	क्षेत्र
1	मुजफ्फरनगर	संपूर्ण जिला
2	बेगूसराय	संपूर्ण जिला
3	समस्तीपुर	संपूर्ण जिला
4	सारण	संपूर्ण जिला
5	वैशाली	संपूर्ण जिला
6	मोतीहारी (पूर्वी चंपारण)	संपूर्ण जिला
7	सहरसा	संपूर्ण जिला
8	मधेपुरा	संपूर्ण जिला
9	नवादा	सामुदायिक विकास खण्ड - नवादा, पकरीबरावन, वरसालीगंज, नरहट, कासीचक, नरदीगंज
10	रोहतास	सामुदायिक विकास खण्ड - नोखा, सांझौली, सूर्यपुरा, देहारी, नसारीगंज, अखोदीगोला, राजपुर, करघाहर, कोचस, दिनारा, कराकट, दावथ, बिक्रमगंज

[फा. सं. 1-64/2015-डब्ल्यूएल-1]

विनोद रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2015

S.O. 3318(E).—Whereas, the State of Bihar has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Nilgai and Wild pig in areas outside forests;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of these species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declare Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*) listed at serial number 14 and Wild pig (*Sus scrofa*) listed at serial number 19, of Schedule III to the said Act, to be vermin and to be included in Schedule V of the Act, for a period of one year from the date of issue of this notification, in the areas specified below, namely :-

I. Areas where Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*) shall be deemed to be in Schedule V in the State of Bihar

S. No.	District	Areas
1	Patna	Entire district
2	Nalanda	Entire district
3	Bhojpur	Entire district
4	Buxar	Entire district
5	Muzaffarpur	Entire district
6	Sitamarhi	Entire district
7	Sheohar	Entire district
8	Darbhanga	Entire district
9	Madhubani	Entire district
10	Begusarai	Entire district
11	Khagaria	Entire district
12	Samastipur	Entire district
13	Saran	Entire district
14	Vaishali	Entire district
15	Gopalganj	Entire district
16	Siwan	Entire district
17	Motihari (East Champaran)	Entire district
18	Saharsa	Entire district
19	Araria	Entire district
20	Madhepura	Entire district
21	Gaya	Community Development Blocks- Wajirganj, Atri, Khizarsarai, Belaganj, Chandoti, Bodhgaya, Tekari, Konch, Guraru, Paraiya, Manpur and Guruwa.
22	Jehanbad	Community Development Blocks- Jehanabad, Ghoshi, Hulasganj, Makdumpur, Modanganj, Kako and Ratni Faridpur
23	Nawada	Community Development Blocks- Nawada, Pakribarawan, Warsaliganj, Narhat, Kasichak, Nardiganj
24	Aurangabad	Community Development Blocks- Barun, Haspura, Obera, Daudnagar, Goh
25	Arwal	Community Development Blocks- Kurtha, Karpi, Kaler, Vanshi
26	Kaimur	Community Development Blocks- Mohania, Nuwan, Ramgarh, Durgawati, Kudra, Bhabhua
27	Munger	Community Development Blocks- Asarganj, Tarapur
28	Lakhisarai	Community Development Block- Barahiya
29	Sheikhpura	Community Development Blocks- Barbigha, Ghat Kusumbha
30	Rohtas	Community Development Blocks- Nokha, Sanjhauli, Suryapura, Dehari, Nasariganj, Akodhigola, Rajpur, Kargahar, Kochas, Dinara, Karakat, Dawath, Bikramganj
31	Bettiah (West Champaran)	Community Development Blocks- Nautan, Manjhaulia, Narkatiyaganj, Chanpatiya

II. Areas where the Wild pig (*Sus scrofa*) shall be deemed to be in Schedule V in the State of Bihar

S. No.	District	Areas
1	Muzaffarpur	Entire district
2	Begusarai	Entire district
3	Samastipur	Entire district
4	Saran	Entire district
5	Vaishali	Entire district
6	Motihari (East Champaran)	Entire district
7	Saharsa	Entire district
8	Madhepura	Entire district
9	Nawada	Community Development Blocks-Nawada, Pakribarawan, Warsaliganj, Narhat, Kasichak, Nardiganj
10	Rohtas	Community Development Blocks- Nokha, Sanjhauli, Suryapura, Dehari, Nasariganj, Akodhigola, Rajpur, Kargahar, Kochas, Dinara, Karakat, Dawath, Bikramganj

[F. No. 1-64/2015- WL-I]

VINOD RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL)